भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 718

24 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

एसबीएम-यू के अंतर्गत मॉडल कान्ट्रेक्टिंग तंत्र

†718. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री राजेश वर्माः

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

श्री नरेश गणपत म्हस्केः

श्रीमती शांभवीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्वच्छता सेवा वितरण में सुधार करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत एक नया मॉडल कान्ट्रेक्टिंग तंत्र शुरु किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह तंत्र सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह तंत्र निजी स्वच्छता सेवा संचालकों और समुदाय-आधारित सफाई कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) शहरी क्षेत्रों में सेप्टिक टैंकों पर निर्भर परिवारों की अनुमानित संख्या कितनी है और नियमित रूप से मल निकासी का क्या महत्व है; और

(ङ) क्या सरकार इस तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अन्तर्गत निजी स्वच्छता सेवा ऑपरेटरों (पीएसएसओ) को नियुक्त करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का मार्गदर्शन करने हेतु जून, 2025 में मॉडल एमपैनलमेंट एंड कॉन्ट्रेक्ट दस्तावेज जारी किए हैं।

इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (पीईएमएसआर) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में सुरक्षित, मशीनीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पष्ट कानूनी और संचालन दिशा-निर्देश बनाना है।

मॉडल कॉन्ट्रेक्ट दस्तावेज़ सीवर और सेप्टिक टैंक की साफ-सफाई सेवाओं के लिए सेवा शर्तें निर्धारित करता है। यह शहर और निजी संचालकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, सेवा स्तर के मानदंडों और नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं की लागत को भी परिभाषित करता है। यह उन निजी संचालकों के लिए दंड, बर्खास्तगी और काली सूची में डालने की शर्तें भी निर्धारित करता है, जो उन सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, जिससे सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा होता है और इस अनुबंध के तहत मशीनों द्वारा सफाई सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहते हैं।

सफाई कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा, सम्मान और सुरक्षित तरीके से मशीनों द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई सुनिश्चित करने के अलावा, ये मॉडल दस्तावेज सीवर और सेप्टिक टैंक की साफ-सफाई सेवाओं में शामिल निजी संस्थाओं जैसे सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), सफाई-उद्यमियों, या सूक्ष्म उद्यमियों आदि को शहरों में पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

(घ) : भारत की अनुमानित 42 करोड़ शहरी आबादी में से लगभग 50% (4.5 करोड़ परिवार) सेप्टिक टैंक का उपयोग करती है। यह दर्शाता है कि निर्धारित निपटान स्थलों पर फैकल स्लज को सुरक्षित तरीके से हटाने और इसका निपटान करने के लिए नियमित रूप से गाद निकालने संबंधी सेवाओं की बहुत आवश्यकता है। लगभग 35% आबादी सीवर नेटवर्क से जुड़ी हुई है, इसलिए शोधन संयंत्रों तक कुशलतापूर्वक अपशिष्ट जल पहुंचाने के लिए इनके नियमित रख-रखाव की आवश्यकता होती है। सीवर प्रणालियों और सेप्टिक टैंकों, दोनों की नियमित साफ-सफाई आवश्यक है - सीवर मैनहोल को रुकावट रहित रखा जाना चाहिए, और सेप्टिक टैंकों की नियमित रूप से सफाई की जानी चाहिए।

(ड.): राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से यांत्रिक उपकरण खरीदने और यांत्रिक सफाई सेवा प्रदाता के रूप में व्यवसाय स्थापित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों और सफाई उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता पैकेज उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) घटक के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में सेप्टिक टैंक साफ-सफाई करने वाले उपकरण खरीदने के लिए भी शहरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****